

# भारतीय पशु चिकित्सा परिषद / VETERINARY COUNCIL OF INDIA

ए विंग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-११००६६/ A-Wing, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

## पंजीयन प्रमाण-पत्र / Registration Certificate



भा.प.ची.प. प्रमाण-पत्र सं/V.C.I./ Regn. No. : **11694**

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. राहुल सिंह को जिनकी विशिष्टियाँ नीचे दर्शाई की गई हैं भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, १९८४ (१९८४ का ५२) के उपबंधों के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकरण करा लिया गया है/This is to certify that Dr. Rahul Singh whose particulars are shown below has been duly registered under the provisions of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984).

पिता/पति के नाम सहित नाम Name with Father's / Husband's Name	जन्मतिथि Date of Birth	पता Address	अर्हता और उसकी तारीख/ Qualification and Date thereof	रजिस्ट्रीकरण का स्थान और तारीख (यदि किसी राज्य पशु चिकित्सा परिषद के पास पहले ही रजिस्ट्रीकृत है) / Date and Place of Registration (if already registered with a State Veterinary Council)
Dr. Rahul Singh S/o Sh. Shashmbir Singh	06/11/1997	H.No.16-A, S-Block, Saket Extn. Colony, Azad Nagar, Hisar, Haryana-125001	B.V.Sc. & A.H. Gala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences, Hisar, Haryana), 2020	No.HVC/3134 Dated: 30/12/2020 (Haryana Veterinary Council)

प्रमाणित किया जाता है कि यह भारतीय पशु चिकित्सा व्यवसायी रजिस्ट्रार में ऊपर विनिर्दिष्ट नाम की सत्य प्रतिलिपि है इसके साक्ष्यस्वरूप इस पर भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की मुद्रा लगा दी गई है और सचिव ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। यह प्रमाण-पत्र तब तक वैध मान्य है जब तक कि पशु-चिकित्सक का नाम भारतीय पशु-चिकित्सा अधिनियम, १९८४ (१९८४ का ५२) के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रार से हटा नहीं दिया जाता है।/ Certified that this is true copy of the above specified name in the Indian Veterinary Practitioners Register. In witness thereof of the seal of Veterinary Council of India and the signature of the Secretary are affixed below. This certificate is valid until the name of Veterinary Practitioner is removed from the Register as per the provisions of the Indian Veterinary Council Act, 1984.

नई दिल्ली/NEW DELHI  
तारीख/Dated, the 14/12/2022

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद / VETERINARY COUNCIL OF INDIA  
SECRETARY

### आवश्यक सूचना/IMPORTANT NOTICE :

- प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत पशु-चिकित्सक व्यवसायी को अपने पते में प्रत्येक परिवर्तन की सूचना सचिव को तुरंत देनी चाहिए और सभी प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए जो उसके संबंध में सचिव द्वारा उठे भेजे जाएँ।/Every registered Veterinary Practitioner should be careful to send to the Secretary immediate notice of any change of his address and also answer all queries that may be sent to him by the Secretary in regard thereto.
- भारतीय पशु-चिकित्सा अधिनियम, १९८४ के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी व्यक्ति पशु-चिकित्सा अधिनियम और पशु-पतन का व्यवसाय करने के लिए वैधिक रूप से हैं।/ All persons registered under Indian Veterinary Council Act, 1984 are legally qualified to practice veterinary medicine and animal husbandry.
- इस प्रमाण-पत्र के संशोधन के दशा में जैसा विनियम ६ के अधीन उपबंधित है मूल नाम परिवर्तित नाम के ठीक नीचे कोष्ठक ( ) के भीतर दर्शाई किया जाएगा।/ In case of amendment of this certificate as provided under regulation 6, the original name shall be indicated within parenthesis ( ) immediately below the altered name.
- यदि प्रमाण-पत्र को दूसरी प्रति जारी की जाती है जैसा विनियम १० के अधीन उपबंधित है तो इस प्रमाण-पत्र के ऊपर के दाएँ कोने पर "दूसरी प्रति" शब्द लाल स्याही में स्पष्ट अक्षरों में मुद्रित किया जाएगा।/ In case a duplicate Certificate is issued as provided under regulation 10, the word 'DUPLICATE' shall be printed in red ink in block letters on top right hand corner of this certificate.